पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के लिए आरक्षण करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय मत प्राप्त करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और करने का विचार रखती है, और

(ख) सिफारिशों को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) और (ख) सरकार का यही मत रहा है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर तब तक यथास्थिति बनाई रखी जाय जब तक कि राष्ट्रीय मतैक्य नहीं हो जाता ।

बंजारा को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना

1331. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक शिष्ट मंडल ने हाल ही में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और मांग की थी कि सभी ग्वार बंजारा को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किया जाए ; और

(ख) क्या इस मांग के समर्थन में 10 अप्रैल, 1989 को दिल्ली में एक रैली की गई थी; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) अखिल भारतीय बंजारा सम्मेलन के एक शिष्टमंडल ने 5-4-1989 को प्रधान मंत्री से भेंट की थी और बंजारों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की थी।

(ख) 11-4-89 को समाचार पत्रों में बताया गया है कि 10-4-1989 को इंडिया गेट के लान में काफी संख्या में बंजारों द्वारा रैली आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने अपनी जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की थी। संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर और आगे जानकारी नहीं बताई जा सकती।

District Forum **and** State Commission constituted under Consumer Protection Act

1332. SHRI KAILASH PATI MISHRA : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) the name and complete address of each District Forum and State Commission which has started functioning along with the jurisdiction area of each such district forum under Consumer Protection Act;

(a) the name, address and qualifications of each member of District Forum/State Commission approved by Government till date; and

(a) the names and addresses of each laboratory which has been recognised under Consumer Protection Act till date alongwith products which can be tested at each laboratory ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Government has not recognised any laboratory under section 2(1) a of the Consumer Protection Act, 1986. However, laboratories set up by or under any law for the time being in force, as defined in